

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018-19/21-22-4-6/राँची, दिनांक: 07.12.2021

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नदियों पर वर्ष 2021-22 में गेज डिस्चार्ज मापन एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु रु० 34.219 लाख (चौतीस लाख इक्कीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नदियों पर वर्ष 2021-22 में गेज डिस्चार्ज मापन एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु रु० 34.219 लाख (चौतीस लाख इक्कीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य प्रस्तावित है :-
 - (i) समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची के अधीन कुल 11 नदियों के 14 अदद गेज स्टेशनों पर दिनांक-21.06.2021 से 30.11.2021 तक गेज पठन एवं डिस्चार्ज मापन का कार्य।
 - (ii) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2, देवघर अन्तर्गत 4 नदियों के 4 अदद गेज स्टेशनों पर दिनांक-21.06.2021 से दिनांक-30.11.2021 तक एवं NGT के आदेश के तहत 2 नदियों (गर्गा एवं नलकारी) के 2 गेज स्टेशनों पर दिनांक-21.06.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक गेज पठन एवं डिस्चार्ज मापन का कार्य।
 - (iii) गेज पीलरो की रंगाई का कार्य।
 - (iv) डिस्चार्ज मापन हेतु फ्लोटिंग सामग्री आदि का क्रय।
 - (v) गेज स्थलों पर नदी का आड़ी काट (Pre & Post) लेने हेतु मजदूरों का भुगतान।
 - (vi) स्टेशनरी सामग्री का क्रय।
 - (vii) निरीक्षण वाहन का रख-रखाव तथा दैनिक वाहन चालक का भुगतान।
3. प्रमण्डलवार कराये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय की अवयववार विवरणी -

प्रमण्डल का नाम :- समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची		
(i)	Seasonal Gauge Reader का भुगतान	रु० 925127.03
(ii)	Seasonal Gauge Khalashi का भुगतान	रु० 716216.15
(iii)	स्टेशनरी का क्रय	रु० 30000.00
(iv)	Gauge site पर नदी का cross-section लेने हेतु मजदूरों का भुगतान	रु० 29400.00

(v)	Gauge site/Piller का रंग-रोगन कार्य	रु० 42000.00
(vi)	जलश्राव मापन कार्य हेतु सामग्रियों का क्रय	रु० 68460.00
(vii)	निरीक्षण वाहन का मरम्मति, रख-रखाव एवं चालक का भुगतान	रु० 342463.16
	कुल :-	रु० 2153666.34
	Add 1% contingency	रु० 21536.66
	Grand Total	रु० 2175203.00
	Say Rs.	रु० 2175200.00
प्रमण्डल का नाम :- समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, देवघर		
(i)	Seasonal Gauge Reader का भुगतान	रु० 501638.20
(ii)	Seasonal Gauge Khalashi का भुगतान	रु० 388358.97
(iii)	स्टेशनरी का क्रय	रु० 15000.00
(iv)	जलश्राव मापन कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय	रु० 30000.00
(v)	Gauge site पर नदी का cross-section लेने हेतु मजदूरों का भुगतान	रु० 12008.52
(vi)	Gauge site/Piller का रंग-रोगन कार्य	रु० 18000.00
(vii)	निरीक्षण वाहन का मरम्मति, रख-रखाव एवं चालक का भुगतान	रु० 269328.10
	कुल :-	रु० 1234333.79
	Add 1% contingency	रु० 12343.33
	Grand Total	रु० 1246677.12
	Say Rs.	रु० 1246700.00
	कुल योग :-	रु० 3421900.00

4. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- (i) माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष -4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघुशीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 49-आर्थिक सहायता (49S47018000175000649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

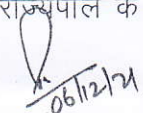
इस शीर्षान्तर्गत रु० 200.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2021-22 के बजट में है।

5. कंडिका-2 में उल्लेखित समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची से संबंधित कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची होंगे और समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2, देवघर के अधीन कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र०सं०-2, देवघर होंगे, इन सभी कार्यों के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची होंगे।

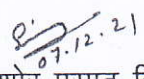
6. गेज खलासी की सेवा न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्राप्त की जायेगी यद्यपि गेज पठन/कैलिब्रेशन आदि कार्यों का कार्यानुभव रखने वाले की सेवा प्राथमिकता के आधार पर ली जाएगी।

7. वाहन चालक की सेवा Outsourcing Agency द्वारा प्राप्त न्यूनतम मासिक दर अथवा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमाह नियत राशि में से जो कम हो पर ली जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2021-22 में बजट में कुल रु० 200.00 लाख का मूल उपबंध है।
12. इन कार्यों को वर्ष 2021-22 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
13. कार्य पर व्यय के पूर्व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति समक्ष पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
14. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
15. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.08.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाए।

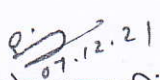
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018-19/21-22 9-61/राँची, दिनांक: 07.12.2021
प्रतिलिपि:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018-19/21-22 9-61/राँची, दिनांक: 07.12.2021
प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/देवघर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018-19/21-22-3/राँची, दिनांक: 07.12.2021
प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल-2, देवघर/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची एवं वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1067/2018-19/21-22-3/राँची, दिनांक: 07.12.2021
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)